

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4/निदे०अनु०जाति आ०वि०(राज्य स्कीम)सं०धा०-182-04/2026-17

प्रेषक,
निदेशक

सेवा में,
जिला कल्याण पदाधिकारी,
गयाजी।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गयाजी के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल ₹61,30,970/- (एकसठ लाख तीस हजार आठ नौ सत्तर रू०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार राशि का आवंटन। पटना, दिनांक-08/05/2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष-2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय महकार, गयाजी के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में ₹1,90,00,000/- (एक करोड़ नब्बे लाख रू०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-16 दिनांक-08/05/26 द्वारा प्रदान किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹61,30,970/- (एकसठ लाख तीस हजार आठ नौ सत्तर रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0102-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0102.01.01-वेतन, 0102.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0102.01.04-मकान किराया भत्ता, 0102.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0102.01.07-अन्य भत्ता, 0102.13.01-कार्यालय व्यय, 0102.13.04-विद्युत प्रभार एवं 0102.28.02-संविदा सेवाएँ मद में मांग संख्या-44-विपत्र कोड सं०-44-2225010010102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गयाजी होंगे तथा संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0अनु0जाति आ0वि0(राज्य स्कीम)संधा0-182-04/2026- 17 पटना, दिनांक-08/09/2026
प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आयुक्त, मगध प्रमंडल,
गयाजी/जिला पदाधिकारी, गयाजी/उप विकास आयुक्त, गयाजी/उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल,
गया/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति
एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण
विभाग/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 मे राज्य स्कीम अन्तर्गत राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गया के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटित राशि की विवरणी

विपत्र कोड-44-2225010010102

(राशि रू० में)

जिला	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	चिकित्सा भत्ता (01.06)	अन्य भत्ता (01.07)	कुल वेतनादि (क्रमांक 2 से 6 तक का योग)	कार्यालय व्यय (13.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल योग (क्रमांक 7 से 10 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गया	34,98,000	21,12,330	79,200	79,860	1,980	57,71,370	39,600	3,00,000	20,000	61,30,970
कुल योग	34,98,000	21,42,360	79,200	79,860	1,980	57,71,370	39,600	3,00,000	20,000	61,30,970

कुल राशि (एकसठ लाख तीस हजार आठ नौ सत्तर रू०) मात्र

ब्रांक- 17

दिनांक- ०८/०९/२०२६ का अनुलग्नक


निदेशक